शपथ-पत्र का प्रारूप (Affidavit Format - Text Copy)

समक्ष श्रीमान पब्लिक नोटरी महोदय, अम्बिकापुर

जिला-सरगुजा, (छ.ग.)

//शपथ-पत्र//

मैं आवेदक का नाम,...

आ.पिता/पति का नाम,...निवासी-[पूरा पता.. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MD/MS) में आवंटित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन (MD/MS) पाठ्यक्रम हेतु अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत **STATE QUOTA/ALL INDIA QUOTA** से हुआ है

Singh

Scanned with OKEN Scanner

मेरे द्वारा स्क्रूटनी में प्रस्तुत किये मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अन्य सभी दस्तावेज व तथ्य मेरी जानकारी अनुसार सत्य और सही है। यदि इनमें कोई दस्तावेज असत्य/झूठे पाए जाते है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी व मेरा प्रवेश निरस्त सहित आवश्यक अपराधिक एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नही होगी। मेरे द्वारा कोई भी तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

यह कि मैने छत्तीसगढ़ राजपत्र, छ.ग. चिकित्सा शिक्षा स्नाकोत्तर प्रवेश नियम 2025 व आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा स्नाकोत्तर प्रवेश जारी विवर्णिका 2025 को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है। उपरोक्त नियमों की कंडिका 5 में प्रवेश हेतु अपात्रता की सभी निम्नलिखित चारों शर्ते मुझ पर लागू नही होती है।

5. प्रवेश हेतु अपात्रताः- (देखे छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025)

Scanned with OKEN Scanner

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में अखिल भारतीय/राज्य कोटे से प्रवेश उपरांत सीट का परित्याग किया हो या अभ्यर्थी को निष्कासित किया गया हो तो, ऐसे अभ्यर्थी परित्याग/निष्कासन की तिथि से डिग्री हेतु आगामी 03 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उनके द्वारा पूर्ण किये गए पाठ्यक्रम के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दिनांक से आगामी 03 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अखिल भारतीय कोटे से पिछले तीन वर्षों में राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है व वे राज्य कोटे की सीटों हेतु अपात्र होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(चार) छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य शासकीय सेवा हेतु निर्धारित बन्धपत्र छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने वाले अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

मैं यह शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूं किः-

1. यह कि किसी शासकीय/अशासकीय/निजी संस्थान में कार्यरत हूँ/नही हूँ।
2. यह कि मैं वर्तमान में .... एवं मेरे द्वारा संस्थान से कार्यमुक्ति आदेश (Relieving order) प्राप्त है। (संलग्न प्रति)
3. यह कि मै सेवारत अभ्यर्थी की श्रेणी में हूँ/नही हूँ। (संलग्न प्रति)
4. यह कि छ.ग. शासन के अधीन 02 वर्षों की अवधि पर बॉन्ड अभ्यर्थी हूँ/नही हूँ। (संलग्न प्रति) NOT APPLICABLE

Scanned with OKEN Scanner

5. यह कि, मेरे द्वारा छ.ग. शासन के अधीन 02 वर्षों की अवधि पूर्ण कर बॉन्ड से मुक्त हूँ। (संलग्न प्रति)

6. यह कि, मेरे द्वारा छ.ग. शासन से NOC प्राप्त है जो कि संलग्न है। (संलग्न प्रति)

7. यह कि दस्तावेज न होने की स्थिति में मुझे ....दिवसों का समय दिया जा रहा है, जिसे प्राप्त होते ही संस्था में जमा कर दिया जावेगा, दस्तावेज होने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8. यह कि छ.ग. शासन द्वारा भविष्य में समय-समय पर जारी पी.जी. पाठ्यक्रम हेतु अनिवार्य दस्तावेज जैसे-सीट त्यागने पर लागू, बांड अथवा अन्य दस्तावेज मेरे द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना मुझ पर बंधनकारी रहेगा।

9. मै शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूं कि मैंने व मेरे माता, पिता/अभिभावक ने UGC तथा NMC की एंटी रैगिंग से संबंधित सभी नवीनतम दिशा-निर्देशो एवं नियम (RULES AND REGULATIONS) पढ़ एवं समझ लिये है, जिनका मै पालन करूंगा/करूंगी पालन नही करने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।मेरे द्वारा UGC के Anti Ragging, Portal (https://antiragging/com) मे Under Taking को Online माध्यम से भरा एवं जमा कर दिया गया है।

Singh

Scanned with OKEN Scanner

10. यह कि, मेरे पिता का वास्तविक नाम --है जो

सत्य एवं सही है, तथा मेरे नीट पीजी के स्कोर कार्ड में मेरे पिता का नाम --------------

दर्ज है उक्त दोनो नाम मेरे पिता के नाम है मेरे पिता को उक्त दोनो नाम से जाना व

पहचाना जाता है। तथा नीट पीजी के एडमिशन में मेरे पिता का वास्तविक नाम ---------

------------------ के नाम को उपयोग किया जा रहा है जो सत्य एवं सही है।

मै उक्त सभी जानकारी को पढ़कर, समझकर अपना हस्ताक्षर कर शपथ

पत्र निष्पादित किया/की हूँ।

गवाह-

1...

2...

नोट: एक गवाह आवेदक पालक/माता/पिता में से कोई एक होना आवश्यक है।

गवाह 1 गवाह 2 आवेदक

शपथकर्ता

Singh

Scanned with OKEN Scanner